यूएई में भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण परामर्शी

विषय: आपातकालीन प्रमाणपत्र/निकास परमिट/अमीरात आईडी/वीजा नियमितीकरण प्राप्त करने के नाम पर अनधिकृत एजेंटों/व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी पद्धतियाँ

दुबई और उत्तरी अमीरात में स्थित भारत के महाकोंसलावास ने नोट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में कई भारतीय नागरिक, विशेष रूप से ब्लू कॉलर श्रमिक, उन व्यक्तियों/एजेंटों द्वारा चलाए जा रहे घोटालों का शिकार हुए हैं, जो वीजा नियमितीकरण/आपातकालीन प्रमाणपत्र या व्हाइट पासपोर्ट प्राप्त करने/ संयुक्त अरब अमीरात से बाहर निकलने में सक्षम बनाने के लिए निकास परमिट या आउटपास/ अमीरात आईडी / रोजगार आदि प्राप्त करने हेतु सहायता करने का झूठा दावा करते हैं।

2. इस धोखाधड़ी की प्रक्रिया के दौरान, ऐसे व्यक्ति/एजेंट पीड़ितों से उनके चेहरे और उंगलियों के निशान को स्कैन कराते हैं ताकि धोखाधड़ी करके वित्तीय लेनदेन किया जा सके, बैंक खाते खोले जा सकें, या प्रभावित भारतीय नागरिकों के नाम पर, बिना उनकी जानकारी या सहमति के ऋण या क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए जा सकें। इसके परिणामस्वरूप, पीड़ित स्वयं को वित्तीय बकाया या उन लेनदेन के लिए उत्तरदायी पाते हैं जिनके विषय में उन्हें पता नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई जुर्माने, यात्रा प्रतिबंध और कुछ मामलों में जेल भी जाना पड़ जाता है।

3. आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस तरह की धोखाधड़ी पद्धतियों का शिकार होने से बचने के लिए, सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है:

क) किसी भी परिस्थिति में अपना पासपोर्ट या अमीरात आईडी या बायोमीट्रिक डाटा (आँख/चेहरा स्कैन या फिंगरप्रिंट) या व्यक्तिगत और वित्तीय क्रेडेंशियल्स किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें।

ख) बायोमेट्रिक स्कैन (आँख/चेहरा स्कैन या फिंगरप्रिंट), जहां निकास परमिट (आउटपास), अमीरात आईडी, या वीजा नियमितीकरण के लिए आवश्यक है, केवल आधिकारिक यूएई सरकार की सुविधा व्यवस्थाओं/ काउंटरों पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथा कभी भी निजी व्यक्तियों, एजेंटों या तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए, जो यूएई अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत होने का दावा करते हैं।

ग) भारत के महाकोंसलावास, दुबई और भारतीय दूतावास, अबू धाबी को पासपोर्ट या आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदकों से किसी भी फिंगरप्रिंट स्कैन या चेहरे/आंखों के स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है। कोंसलावास या दूतावास के नाम पर ऐसे बायोमीट्रिक डाटा की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति या एजेंट धोखाधड़ी में शामिल है तो उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

घ) भारतीय नागरिकों, जिनसे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट द्वारा बायोमीट्रिक डाटा या अमीरात आईडी की मांग की जाती है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रमाण-पत्रों के सत्यापन या किसी अन्य सहायता के लिए **प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र** से **टोल फ्री नंबर 80046342,** या **व्हाट्सएप/एसएमएस** के माध्यम से **00971543090571** या **ईमेल pbsk.dubai@mea.gov.in** पर संपर्क करें।

4. उपरोक्त को देखते हुए, दुबई और उत्तरी अमीरात में स्थित भारत के महाकोंसलावास, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले या वहां आने वाले सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करता है कि वे सावधानी बरतें, ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के प्रमाण-पत्रों की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना को तुरंत कोंसलावास और/या संबंधित यूएई प्राधिकारियों को दें।

31 अगस्त 2026
दुबई